



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 668]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 904(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6), धारा 150 की उपधारा (3) और (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 469 के साथ पठित धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) छठा संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये नियम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में,
(1) नियम 12क के परंतुक में “15 सितंबर, 2018 से पहले” शब्दों और संख्याओं के स्थान पर “05 अक्तूबर, 2018 से पहले” शब्द और संख्याएं रखी जाएंगी।

[फा. सं. 01/22/2013-सीएल-V(पार्ट-III)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चात्कर्ती संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 671(अ)	18.09.2014

2.	सा.का.नि. 42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि. 839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि. 51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि. 558 (अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि. 615(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 798(अ)	21.08.2018

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), sub-section (6) of section 149, sub-section (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 of and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Sixth Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014,

(i) in the proviso to rule 12A, for the words and figures “before 15th September, 2018,” the words and figures “before 5th October, 2018 ” shall be substituted.

[F. No. 01/22/2013 CL-V (Pt-III)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671 (E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839 (E)	05.07.2017
4.	G.S.R.51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R.431 (E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615 (E)	05.07.2018
8.	G.S.R.798 (E)	21.08.2018